समक्ष माननीय अध्यक्ष म.प्र. राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. पुर्नविलोकन / /16 निग -3174- I -16

गुलाब बाई पत्नी स्व0 श्री धनसिह
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील सिरोंज
जिला बिदिशा म.प्र . .....आवेदक

विरूद्ध

1. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या0
   ग्राम सोना तहसील सिरोंज जिला विदिशा द्वारा अध्यक्ष
2. निर्भयसिहं आ0 स्व0 श्री धनसिहं
   निवासी ग्राम शाहपुर तहसील सिरोंज
   जिला बिदिशा म.प्र
3. श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश
   निवासी ग्राम सतखनी तहसील सिरोंज
   जिला बिदिशा म0प्र0 ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र.निगरानी 3458–एक / 2015 में पारित आदेश दिनांक 10 / 08 / 2016 से असंतुष्ट होकर एवं दुःखी होकर यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र माननीय माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क0 143 रकवा 0.708 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक एवं अनावेदक क0 2 व 3 के नाम पर दर्ज है। अनावेदक क0 1 ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह उल्लेख करते हुए कि वर्ष 1977–78 में जनता पाट्री के आने पर ग्राम सरपचं धनसिहं द्वारा 0.039 हेक्टयर भूमि गोदाम के लिये दी गयी थी, इसलिये उक्त 0.708 हे0 भूमि में से 0.039 हेक्टयर भूमि पर अनावेदक क0 1 का नामान्तरण किया जावे। अपने आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क0 1 द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व कि भूमि खसरे कि प्रति, पचंनामें कि फोटोकाफी एवं विभिन्न व्यक्ति के शपथपत्रो कि फोटोप्रतियो प्रस्तुत कि गयी। अनावेदक क0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कि जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण के सबन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कि गयी कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक एवं अनावेदक क0 2 व 3 के नाम पर दर्ज है। अनावेदक क0 1 को उवत भूमि पर कब्जे के आधार पर नामान्तरण करवाने कि कोई अधिकारिता नही है । इसलिये अनावेदक क0 1 द्वारा आवेदन पत्र को निरस्त किया जावे। अधिनस्थ अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर नियमानुसार विचार किये विना ही अपने अधिकार क्षेत्र से बहार जाते हुए उक्त भूमि पर अनावेदक क0 1 का नामान्तरण करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित क्षेत्राधिकार विहीन आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया गया कि विवादित भूमि अनावेदक क0 1 को दान दी गयी थी इसलिये आवेदक के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3174–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 3458–एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 10–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक द्वारा पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।	